यह निरीक्षण आख्या कार्यालय सहायक निदेशक खेल, पौड़ी गढ़वाल द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार की गई है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय सहायक निदेशक खेल, पौड़ी गढ़वाल के अवधि माह 09/2013 से 04/2016 तक के लेखा–अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री सन्तोष कुमार गुप्ता, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री भानुप्रताप सिंह, स.ले.प.अ. द्वारा दिनांक 03.05.2016 से 06.05.2016 तक श्री ..... वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित सम्प्रेक्षा पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

भाग–प्रथम

(अ) परिचयात्मकः– इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री जी.एस. नेगी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री एल.एस. लिंगवाल, स.ले.प.अ. द्वारा दिनांक 24.08.2013 से 30.08.2013 तक श्री .... वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पन्न की गई थी, जिसमें माह 12/2006 से 07/2013 तक के लेखा–अभिलेखों की जांच की गयी।

वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 09/2013 से 04/2016 तक 1 लेखा–अभिलेखों की जांच की गयी।

2. **विगत लेखापरीक्षा से वर्तमान तक निम्नलिखित अधिकारियों ने कार्यालयाध्यक्ष का पदभार संभाले रखाः–**

   1. डा. धर्मेन्द्र प्रकाश भट् 21.03.13 से वर्तमान तक

3. **अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :**

क्रम संख्या	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/वर्ष	भाग–2 अ	भाग–2 ब	STAN
01	62/2013–14	–	–	1

4. **सतत् अनियमिततायें** – शून्य

5. **अप्रस्तुत अभिलेख (कारण सहित)** – शून्य

6. बजट

(धनराशि `लाख में)

वर्ष	आयोजनेत्तर		आयोजनागत	
	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
2013—14	48.73	44.53	41.90	41.86
2014—15	46.91	46.23	52.00	51.95
2015—16	45.75	31.87	100.00	99.95

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर 1 : आर्थिक–नियोजन की कमी के फलस्वरूप संप्रेक्षित वर्षों में ` 21.46 लाख का अप्रयुक्त रहना।

संप्रेक्षित कार्यालय सहायक निदेशक खेल, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी के माह 09/2013 से 04/2016 तक के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि सकल प्राप्ति के सापेक्ष व्यय निम्नवत था–

वर्ष	सकल प्राप्ति	व्यय	अवशेष	प्रतिशत
2013–14	9183598	8639016	544582	5.9
2014–15	9949650	9817774	131876	1.3
2015–16	14651909	13182282	1469627	10.03

उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि वित्तीय वर्ष 2015–16 में ` 14.5 लाख अप्रयुक्त रहा, जो कि सकल प्राप्ति का ` 10.03 प्रतिशत था।

उपरोक्त वित्तीय वर्षों में ` 21.46 लाख अप्रयुक्त रहा। इस संदर्भ में संप्रेक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्रभाग ने अपने उत्तर में बतलाया कि आयोजनेत्तर मद की धनराशि को अन्य मद में खर्च नहीं किया जा सकता है।

संप्रेक्षा को यह उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि मांग के सापेक्ष ही बजट का आवंटन होता है।

इस प्रकार संप्रेक्षित वर्षों में आर्थिक–नियोजन की कमी के फलस्वरूप ` 21.46 लाख के अप्रयुक्त रहने का प्रकरण विभाग के उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर 2 : शासनादेशानुसार ` 189.99 लाख के कार्यों के सापेक्ष एम.ओ.यू./अनुबंध निष्पादन न किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग अनु.–1 के पत्र संख्या 584/XXVII (1)/2015 दिनांक 14.05.2015 तथा मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के पत्र संख्या 624/जि.यो./रा.यो.आ./मु.स./2008/दिनांक 24 मार्च, 2008 व पत्र संख्या 211/XXVII (1)/2015 दिनांक 12 फरवरी, 2015 में दिये गये दिशा–निर्देशों के क्रम में वार्षिक जिला येाजना 2015–16 के अन्तर्गत अनुमोदित कार्यों/योजनाओं हेतु अनुदान संख्या 07 के अन्तर्गत जिला योजना में जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड पौड़ी में कण्डोलिया खेल मैदान में चेजिंग ब्लाक अनावासीय भवन का निर्माण किया जाना था उक्त कार्य हेतु कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग प्रखण्ड पौड़ी गढ़वाल को वित्त अनुभाग–1 के शासनोदश संख्या 571/ XXVII (1)/2010 दिनांक 19.10.2010 की शर्तों के अनुसार चयनित किया गया था जिसकी शर्तों में स्पष्ट निर्देशित था कि समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) कार्यदायी संस्था के साथ अवश्य हस्ताक्षरित किया जायेगा एवं संस्था को धनराशि एम.ओ.यू. के निष्पादन के बाद ही अवमुक्त की जायेगी। निर्माण कार्यों की अनुमानित लागत 189.99 लाख थी।

कार्यालय के निर्माण कार्य से संबंधित पत्रावलियों की नमूना जांच में पाया गया कि कार्यदायी संस्था से एम.ओ.यू. किये बिना ही जनवरी 2016 में कार्यदायी संस्था को ` 26.00 लाख प्रदान कर दिया गया था तथा वर्तमान तक 04 मास के व्ययोपरांत भी कार्य शुरू नहीं हो पाया था।

उक्त को इंगित करने पर इकाई ने उत्तर में अवगत कराया कि कार्य की महत्ता को देखते हुए कार्यदायी संस्था के साथ बिना एम.ओ.यू. के ही धनराशि प्रदान कर दी गयी। इकाई का उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नहीं था क्योंकि उत्तराखण्ड शासन के वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या 571/ XXVII (1)/2010 दिनांक 19.10.2010 की शर्तों के अनुसार गठित किया गया था जिसकी शर्तों के अनुसार कार्यदायी संस्था के साथ समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) किये जाने के उपरान्त ही

धनराशि अवमुक्त की जानी थी। अतः ` 189.89 लाख के कार्यों के सापेक्ष शासनादेशानुसार एम.ओ. यू./अनुबंध निष्पादित न किये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग–तीन

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततायें, जिनका समाधान/निरकारण लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं किया जा सका है, उन्हें पृथक रूप से नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर अलग से कार्यालय सहायक निदेशक खेल, पौड़ी गढ़वाल को इस आशय से प्रेषित की गयी की वे लेखापरीक्षा टिप्पणी की प्राप्ति के एक माह के अन्दर उसकी अनुपालन आख्या सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, सी–1/105 वैभव पैलेस, इन्दिरानगर, देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
(सामाजिक क्षेत्र)